

न्यायालय : अपर समाहर्ता-सह-आरबिट्रेटर, रामगढ़ ।

वाद का प्रकार :- भू-अर्जन अपील वाद

वाद सं० :- 61/2015-16

वादी :- सुरेश महतो

प्रतिवादी :- एन०एच०ए०आई०-23

नांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

अभ्युक्ति

1/09/2018

प्रस्तुत वाद संख्या-61/15-16, मौजा-सोसोखुर्द, खाता सं०-17, प्लॉट सं०-326/1, 364/1, कुल रकवा-0.10 एकड़ में एन०एच-23 के चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि से संबंधित है। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपील वाद सं०-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 177, 178, 179/2015-16 समान प्रकृति की है। अतः इन वादों की सुनवाई एक साथ करने का अनुरोध किया गया है। जिसकी स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त वादों के अपीलार्थी का नाम एवं भूमि की विवरणी निम्न है :-

क्रम सं०	वाद सं०	अपीलार्थी का नाम	प्लॉट सं०	रकवा
1	61/2015-16	सुरेश महतो	326/1, 364/1	0.10
2	65/2015-16	प्यारेलाल महतो	250	0.07
3	66/2015-16	सोहनलाल महतो	295/2	0.15
4	67/2015-16	मुरली महतो	328	0.14
5	68/2015-16	धखुल महतो	317	0.03
6	69/2015-16	शालीग्राम महतो	291/1	0.08
7	70/2015-16	मोहन महतो	262	0.10
8	71/2015-16	त्रिभुवन महतो	334	0.03
9	72/2015-16	त्रिभुवन महतो	259	0.27
10	73/2015-16	त्रिभुवन महतो	333	0.11
11	74/2015-16	त्रिभुवन महतो	295/1	0.15
12	76/2015-16	मदन महतो	260	0.13
13	77/2015-16	नेवालाल महतो	331	0.04
14	78/2015-16	केदारनाथ महतो	298/2	0.04 1/2
15	79/2015-16	मोहन महतो	317/2	0.03
16	81/2015-16	धुमा महतो	317	0.06
17	82/2015-16	धुमा महतो	298/1	0.06
18	84/2015-16	चैता महतो	369	0.01
19	85/2015-16	श्याम सुन्दर महतो	249/2	0.09
20	177/2015-16	संजय कुमार महतो	249/3	0.08
21	178/2015-16	मुरली महतो	370/2	0.04
22	179/2015-16	धखुल महतो	326/2	0.05

अपीलार्थीगण के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि एन०एच-23 से बिल्कुल सटा हुआ है। जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा भूमि को कृषि भूमि मानते हुए मुआवजा का भुगतान किया गया है, जबकि भूमि की प्रकृति आवासीय प्रकृति की है। विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि के लिए आवासीय भूमि की दर पर मुआवजा भुगतान का अनुरोध किया गया है।

NH-23 के प्राधिकृत अधिवक्ता का कहना है कि मौजा-सोसोखुर्द के एन०एच-23 चौड़ीकरण हेतु अर्जित भूमि का मुआवजा भू-अर्जन अधिनियम के अधिकतम विक्रय मूल्य के औसत के आधार पर किया गया है, जो निबंधन के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक है। अपीलार्थीगण की माँग अनुचित एवं वैध नहीं है। निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त 30% सोलेशियम तथा 12% प्रतिवर्ष दर से ब्याज के साथ मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा उचित जाँचोपरांत राशि का भुगतान किया गया है। राशि भुगतान में रैयतों के सभी हितों का ख्याल रखा गया है। अपीलार्थी का आवेदन खारीज करने योग्य है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख के अनशीलन से स्पष्ट है कि जिला भू-अर्जन कार्यालय द्वारा प्रश्नगत भूमि का मुआवजा का भुगतान कृषि भूमि हेतु निर्धारित दर के अनुसार किया गया है, जिससे असंतुष्ट होकर विज्ञ अधिवक्ता द्वारा आवासीय भूमि मानते हुए मुआवजा भुगतान का अनुरोध किया गया है। जबकि अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य के तौर पर कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। NH-23 के प्राधिकृत अधिवक्ता का कहना है कि निर्धारित मूल्य के अतिरिक्त


(Handwritten signature)

30% सोलेशियम तथा 12% प्रतिवर्ष दर से ब्याज के साथ मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा उचित जाँचोपरांत राशि का भुगतान किया गया है।

उभयपक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, लिखित अभिकथन के विवेचन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें प्रमाणित हो सके कि प्रश्नगत भूमि आवासीय कोटी की है।

अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। यह आदेश वाद सं०-65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 177, 178, 179/2015-16 के लिए भी प्रभावी होगा। आदेश की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ एवं परियोजना निदेशक, NHAI-23 को भेजें।

अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।
लेखापित एवं संशोधित।


अपर सहायक,
रामगढ़।